(27)

(200)

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3776–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 4/ए–12/2012–13.

1. रामगोपाल पिता श्री मंगलिया काछी
2. जागेश्वर तनय गोरा काछी
   निवासी मैहाई (पुरवा) तहसील नागौद
   जिला सतना म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

नागन्द्र सिंह तनय श्री रामकरण सिंह
निवासी पुरवा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0
शासन म0प्र0 राजस्व निरीक्षक मण्डल सिंहपुर
तहसील नागौद जिला सतना

——— अनावेदकगण

....

श्री जसराम विश्वकर्मा, अभिभाषक आवेदकगण
श्री महेन्द्र अग्निहोत्री, अभिभाषक अनावेदक

....

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 13/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 4/अ–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 29–6–14 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक के समक्ष अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन

पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक ने सरहदी कास्तकारों को सूचना जारी की गई है जिसमें आवेदक रामगोपाल का नाम अंकित है परन्तु उसके नाम के सामने उसके हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे यह प्रकट होता हो कि रामगोपाल सहित आवेदकगण को सीमांकन के पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना प्रदान की गई है। जहां तक स्थल पंचनामा का प्रश्न है प्रश्नाधीन सीमांकन में मेड़ को स्थाई सीमा चिन्ह मानकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है जबकि मेड़ को स्थाई सीमाचिन्ह नहीं माना जा सकता। इस संबंध में कई न्यायिक उद्धरण भी हैं। इसके अतिरिक्त अनावेदक की सम्पूर्ण आराजी पर आवेदक का कब्जा पाया जाना भी विचार का बिन्दु है। राजस्व निरीक्षक की प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 29–6–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पत्रिका में भी आदेश में पृथक से एक पंक्ति आवेदक के कब्ज के संबंध में जोडी गई है जो संभवत बाद में जोडी गई है और उक्त पंक्ति अलग पैन से लिखी गई है जिस पर बाद में राजस्व निरीक्षक के नमूना हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। आवेदक को विधिवत सूचना जारी न होना, स्थाई सीमाचिन्ह से सीमांकन की कार्यवाही न करना एवं आदेश पत्रिका में अतिरिक्त पंक्ति को जोडने से राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है। राजस्व निरीक्षक के इस दुषित कार्यवाही को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार परनिगरानी स्वीकार कीज ाती है। राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 29–6–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है सर्वप्रथम एक सीमांकन दल गठित करें और अनावेदक साहित सभी सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन की कार्यवाही संपादित करायें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर